भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5101

04.04.2022 को उत्तर के लिए

वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हेतु कदम

5101. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री प्रतापराव जाधव :
श्री विद्युत बरन महतो :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2021 जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट के अनुसार उत्तर-पूर्व में वनाच्छादन घट रहा है और प्राकृतिक वनों के क्षेत्रफल में कमी आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वहीं सरकार द्वारा उक्त स्थिति को रोकने और उत्तर-पूर्व के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में वनाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वर्तमान में देश में वनाच्छादित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह कितने प्रतिशत है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण/वृक्षारोपण को और अधिक जैव-विविधतापूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन - भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 (आईएसएफआर-2021), दिनांक 13 जनवरी, 2022 को प्रकाशित की गई थी। आईएसएफआर-2021 के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-

(i) देश का वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र बढ़ रहा है।

- वर्ष 2021 में किए गए आकलन के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 8,09,537 वर्ग किमी. है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है।

- वर्तमान आकलन से गत आकलन अर्थात आईएसएफआर-2019 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर वनाच्छादित क्षेत्र में 1,540 वर्ग किमी., वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 721 वर्ग किमी. तथा वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र दोनों को मिलाकर 2,261 वर्ग किमी. की वृद्धि होने का पता चलता है।
- गत आकलन की तुलना में बहुत घने वनों में 501 वर्ग किमी. तक की वृद्धि हुई है।
- वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष पांच राज्य : आंध्र प्रदेश (647 वर्ग किमी.), तेलंगाना (632 वर्ग किमी.), ओडिशा (537 वर्ग किमी.), कर्नाटक (155 वर्ग किमी.) और झारखंड (110 वर्ग किमी.) हैं। पेड़-पौधों में वृद्धि होना एक सकारात्मक परिवर्तन है, जिसके लिए संरक्षण उपायों, वनीकरण कार्यकलापों, पौधरोपण के साथ-साथ पारंपरिक वन क्षेत्रों में किए जा रहे संरक्षण उपायों में वृद्धि और वनों के बाहर वृक्षों के विस्तार को श्रेय दिया जा सकता है।
- वन आच्छादित क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान अरुणाचल प्रदेश (257 वर्ग किमी.), मणिपुर (249 वर्ग किमी.), नगालैंड (235 वर्ग किमी.), मिजोरम (186 वर्ग किमी.) और मेघालय (73 वर्ग किमी.) में देखा गया है। अल्पावधिक पौधरोपण, झूम कृषि, जैविक दवाब, अतिक्रमित क्षेत्र में स्वीकृति और विकासात्मक कार्यकलापों के कारण वन आच्छादित क्षेत्र में कमी होना एक नकारात्मक परिवर्तन है।

(ii) देश के मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है।

- मैंग्रोव पारि-प्रणालियां, जैव-विविधता से संपन्न होती हैं और अनेक पारिस्थितिकीय सेवाएं प्रदान करती हैं। वे भू-क्षरण, ज्वारीय तूफानों और सुनामी से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करने में प्रमुख भूमिका भी निभाती हैं।
- वर्तमान आकलन से पता चलता है कि देश में मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र 4,992 वर्ग किमी. है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है।
- वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश में मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र में 17 वर्ग किमी. की कुल वृद्धि हुई है। मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि दर्शाने वाले राज्य ओडिशा (8 वर्ग किमी.) और महाराष्ट्र (4 वर्ग किमी.) हैं।

(iii) वनों के अंदर और बाहर, दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

- वनों और वनों के बाहर वृक्षों के बढ़ते भंडार का अनुमान राष्ट्रीय और राज्यीय स्तर पर लगाया गया है। देश में लकड़ी का कुल बढ़ता भंडार 6,167.50 मिलियन घनमीटर होने का अनुमान है जिसमें वन क्षेत्रों के अंदर 4,388.15 मिलियन घनमीटर क्षेत्र और अभिलिखित वन क्षेत्रों के बाहर 1,779.35 मिलियन घनमीटर क्षेत्र शामिल हैं। वन में प्रति हेक्टेयर औसतन बढ़ता भंडार, 56.60 घनमीटर होने का अनुमान लगाया गया है। आईएसएफआर 2019 में संसूचित अनुमान की तुलना में देश के वनावरण में 251.74 मिलियन घनमीटर की कुल वृद्धि हुई है।

(iv) वनों में कार्बन भंडार बढ़ रहा है।

- वर्ष 2021 के लिए 7,204.0 मिलियन टन कार्बन भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2019 के गत आकलन में लगाए गए अनुमान की तुलना में कॉर्बन भंडार में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है, जो 145.6 मिलियन टन CO_2 के समतुल्य है।

(v) बांस का भंडार बढ़ रहा है।

- देश में कुल बांस उत्पादक क्षेत्र 1,49,443 वर्ग किमी. होने का अनुमान है। राष्ट्रीय स्तर पर बांस के तनों का कुल अनुमानित हरित भार 402 मिलियन टन है। आईएसएफआर-2019 में किए गए अनुमान की तुलना में वर्तमान आकलन में बांस के हरित भार के समतुल्य लगभग 124 मिलियन टन की वृद्धि देखी गई है।

(ख) आईएसएफआर-2021 के अनुसार, वर्ष 2019 में किए गए गत आकलन की तुलना में उत्तर पूर्वी राज्यों नामत: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा में वन आच्छादित क्षेत्र में 1,020 वर्ग किमी. की समग्र कमी हुई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वन आच्छादित क्षेत्रों में हुई हानि के लिए प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय गतिविधियों, विकासात्मक कार्यकलापों और झूम कृषि पद्धतियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(ग) देश में वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और हरित भारत मि□शन (जीआईएम) शामि□ल हैं। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका उद्देश्य देश में अवक्रमि□त वन और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों की पुनर्बहाली करना है। अब एनएपी स्कीम का हरित भारत मि□शन के साथ विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय हरित भारत मि□शन (जीआईएम), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना के तहत निर्धारित आठ मि□शनों में से एक है। इसका उद्देश्य वन और वनेतर क्षेत्रों में पौधरोपण कार्यकलापों के माध्यम से भारत के वनाच्छादित क्षेत्र का संरक्षण, उसकी पूर्व स्थिति में बहाली और उसमें वृद्धि करना तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्रवाई करना है।

वनीकरण कार्यकलाप, विभिन्न कार्यक्रमों/वित्त पोषण स्रोतों जैसे प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत प्रतिपूरक वनीकरण निधियां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम (मनरेगा) के तहत वनीकरण कार्यकलाप, राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति और कृषि-वानिकी संबंधी उप-मिशन (एसएमएएफ), राष्ट्रीय बांस मिशन और राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत भी किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अपने वनीकरण और पुनर्वनीकरण कार्यक्रम हैं। प्राय: प्रत्येक राज्य में सामाजिक वानिकी के तहत कार्यकलाप संचालित किए जाते हैं, जिनमें अधिकाशत: वनों से बाहर के क्षेत्रों में वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी राज्य सरकारों द्वारा झूम कृषि की परिपाटी को रोकने हेतु लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(घ) आईएसएफआर-2021 के अनुसार, देश का वन आच्छादित क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किमी. है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है।

(ङ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों, वन संरक्षण नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां तक व्यवहार्य हो, स्थानीय स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों के मिश्रण का रोपण किया जाता है और प्रजातियों की एक फसली कृषि को रोका जाता है। इन क्षेत्रों में जैव-विविधता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिज्ञात क्षेत्रों में स्थानीय वृक्ष प्रजातियों का रोपण भी कर रहे हैं।

****